किया है जबकि 27/468 अंकन करना था। एवं नम्बर 27 ही अंकन
खसरा नम्बरान आदेश दिनांक 21/11/22 के अनुसार पैरा सं. 3 में अंकित
किया जाना चाहिए था जो नहीं किया। इस प्रकार स्थगन में अंकित
का प्रा. पत्र 152 CPC का स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया
जाकर आदेश दिनांक 21/11/22 में ख. 27 के स्थान पर 27/468
एवं पैरा सं. 3 में अंकित खसरा नम्बरान 1/0.58, 10/0.07,
2/0.52, 22/0.08, 23/0.11, 24/0.07, 3/0.51, 4/0.32, 5/0.37,
6/0.29, 7/0.28, 8/0.16, 9/0.06. किता 13 कुल रकबा 3.42 है।
को भी स्थगन आदेश 21/11/22 के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा से
अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना पढ़ा जावें। पत्रावली दिनांक
27/12/22 को पेश हो। प्रा. पत्र 152 CPC को मूल पत्रावली के
साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, ... (जयपुर)

27/12/22 पत्रावली पेश हुयी P.O. साहब / कार्य
कन्ट्रोलेस Pohit Rawatal.. जनरल
दिनांक दी गई। पर्यानुसार पत्रावली
दिनांक 28/2/23 को पेश हो।
Pooja

28/2/23 पत्रावली पेश हुयी P.O. साहब / कार्य
कन्ट्रोलेस कार्य स्थगित जनरल
दिनांक दी गई। पर्यानुसार पत्रावली
दिनांक 14/3/23 को पेश हो।
Pooja

14/3/23 पत्रावली पेश हुयी P.O. साहब / कार्य
कन्ट्रोलेस कार्य स्थगित जनरल
दिनांक दी गई। पर्यानुसार पत्रावली
दिनांक 5/4/23 को पेश हो।
Pooja

5/4/23 पत्रावली पेश हुयी P.O. साहब / कार्य
कन्ट्रोलेस अन्य कार्य में व्यस्त जनरल
दिनांक दी गई। पर्यानुसार पत्रावली
दिनांक 10/4/23 को पेश हो।
Pooja

10/4/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. है। इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 13/4/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

13/4/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. है। इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 17/4/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

17/4/23 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील को सायंकाल 6 PM तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आए। न ही वादी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजिर अदालत आए। अतः प्रा. पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamS